न्यायालय अनुमण्डल दण्डाधिकारी, रंका।

विविध वाद सं0 – 265 / 2022 धारा 144 द0प्र0स0

भुनेश्वर प्रसाद यादव बनाम् रामेकेश्वर यादव

आदेश

और ख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
02/023	अभिलेख उपस्थापित। यह वाद उभय को अंचल अधिकारी, रमकण्डा के पत्रांक 267 दिनांक 05.08.2022 के जॉच प्रतिवेदन के आधार पर यह प्रक्रिया प्रारम्भ की गई है। भूमि की विवरणी निम्न प्रकार है :–	

ग्राम	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकबा	उत्तर	दक्षिण	पुरब	पश्चिम
सवाने	110	355	0.85 एकड़	ठुरू यादव	रामअवतार सिंह	रामनारायण यादव	रामनारायण यादव

प्रथम पक्षकार का कहना है कि अपने कारणपृच्छा में मौजा सवाने के खाता संख्या 110 प्लॉट संख्या 355 है जो द्वितीय पक्ष के रैयती भूमि है, जिसमें द्वितीय पक्ष मनमाने ढंग से प्रथम पक्ष को देना चाहते है एवं दोनों भाईयों के बीच बराबर–बराबर हिस्से का बटवारा नहीं हुआ है। प्रथम पक्ष के पिता स्व0 त्रिवेणी यादव के चार पुत्र है। (1) सुदेश्वर यादव (2) रामेश्वर यादव (3) भुनेश्वर यादव (4) चन्देश्वर यादव है। कुल रकबा 0.85 एकड़ भूमि में हर भाई को 0.21 ¼ एकड़ हिस्सा नहीं देना चाहता है। यह कि विवादित भूमि के सटे पश्चिम भाग में गैरमजरूआ भूमि है जो प्रथम पक्ष के पिता ने जोत–कोड़ कर आबाद किया है। अन्त में अनुरोध करते है कि उक्त वाद में प्रथम पक्ष से निषेधाज्ञा उठाया जाय तथा द्वितीय पक्ष पर निषेधाज्ञा रखा जाय।

द्वितीय पक्षकार का कथन है कि द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष के सगे भाई है। तथा प्रश्नगत भूमि खतियानी भूमि है। खतियानी भूमि 0.85 एकड़ का है तथा वर्ष 1996 में हिस्सा बंटा हुआ है। सभी भाई शांतिप्रिय अपने–अपने हिस्से की भूमि को जोत–कोड़ करते आ रहे है। उक्त वाद में रकबा के अनुसार चारों भाई पर वाद दायर करना चाहिए था जो बिलकुल निराधार एवं अनुचित तथा शीघ्र ही खारिज के योग्य है। अन्त में अनुरोध करते है उक्त वाद में प्रथम पक्ष पर निषेधाज्ञा जारी रखें तथा द्वितीय पक्ष से निषेधाज्ञा उठाया जाय।

अंचल अधिकारी, रमकण्डा का पत्रांक 267 दिनांक 05.08.2022 के जॉच प्रतिवेदन का अवलोकन कि खाता संख्या 110 प्लॉट संख्या 345, 347 व 355 रकबा क्रमशः 1.85 एकड़, 1.52 एकड एवं 0.85 एकड़ भूमि का कुल रकबा 4.22 एकड़ भूमि का ऑनलाईन मांग त्रिवेणी महतो पिता लालजी महतो के नाम पर ऑनलाईन मांग दर्ज है। जॉच के क्रम में पाया कि वर्तमान में त्रिवेणी महतो के चार पुत्र है तथा भूमि का बंटवारा आपस में सभी भाइयों के बीच नहीं हुआ तथा भूमि पर आपसी बंटवारा को लेकर विवाद हुआ है। बंटवारा हेतु सक्षम न्यायालय जा सकते है।

अतः इस वाद की प्रक्रिया धारा 144 द0प्र0स0 की समय सीमा समाप्त हो गयी है। इसलिए वाद की कार्यवाही को समाप्त की जाती है।

10-2-23

अनुमण्डल दण्डाधिकारी
रंका।

Digitally signed by RUDRA PRATAP
Date: 2023.11.27 12:57:42 +05:30
Location: 192.168.223.152